जिला विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में ली गयी समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2026 का कार्यवृत्त।

मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 का दिनांक 29.05.2026 को जनपद मऊ में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय की व्यस्तता के कारण जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा पूर्व निर्धारित दिनांक 25.05.2026 को की गयी, जिसमें जल निगम (ग्रामीण), नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा/मेसर्स जी.ए. विश्वनाथ/मेसर्स के.एल.एस.आर एवं डीपीएमयू/टीपीआई के निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

1– श्री रामेश्वर दयाल, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मऊ।
2– श्री नन्दलाल सिंह, (से0नि0 एस0डी0एम0), डी0सी0, डीपीएमयू, मऊ।
3– श्री अनूप, जिला प्रतिनिधि– मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा (कार्यदायी संस्था)।
4– श्री प्रतीक/दीपक, जिला प्रतिनिधि–मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ (कार्यदायी संस्था)।
5– श्री सूरज मौर्य/राहुल पाण्डेय, जिला प्रतिनिधि–मेसर्स के.एल.एस.आर (कार्यदायी संस्था)।
6– श्री यशवीर सिंह, डीपीएम, टीपीआई संस्था।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विस्तृत समीक्षा की गयी। बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मऊ में कुल 532 पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करने की स्वीकृत प्रदान की गयी है। 532 परियोजनाओं में कुल 1320 राजस्व ग्राम आच्छादित है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा द्वितीय फेज के अन्तर्गत वर्ष 2021 से कार्य प्रारम्भ किया गया है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ एवं मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा पाचवें फेज में दिसम्बर 2022 से कार्य प्रारम्भ किया गया। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की घटकवार (कम्पोनेन्ट) समीक्षा की गयी।

1. **ट्यूबवेल** – जनपद मऊ में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 575 ट्यूबवेल का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 567 ट्यबवेल की बोरिंग हो चुकी है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 251 के सापेक्ष 250, मेसर्स के.एल.एस.आर के द्वारा 116 के सापेक्ष 113 तथा मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा द्वारा 208 के सापेक्ष 204 ट्यूबवेल की बोरिंग की जा चुकी है। 08 ट्यूबवेल की बोरिंग अवशेष है। एल.सी.इन्फ्रा की 01, मेसर्स के.एल.एस.आर की 03 एवं मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ के 04 बोरिंग नही की गयी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि भूमि का विवाद होने के कारण तथा बोरिंग असफल होने के कारण कार्य अवशेष है। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करके भूमि विवाद का निस्तारण कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता तथा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया।

2. **पम्प हाउस** – अधिशासी अभियन्ता , जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 575 पम्प हाउस के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 557 पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ किया गया था। 557 में से 524 का कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माणाधीन 33 पम्प हाउस अपूर्ण है। इसके अलावा 18 पम्प हाउस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 05, मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा 06 एवं मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 07 पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ न करना संस्था की उदासीनता एवं लापरवाही परिलक्षित हो रही है। कार्यदायी संस्थाओं को दिनांक 15.07.2026 तक प्रत्येक दशा में पम्प हाउस का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

3. **शिरोपरि जलाशय** – अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 537 शिरोपरि जलाशय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 515 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 01, मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा 16 एवं मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 05 कुल 22 शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 94, मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा मात्र 13 तथा मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 165 कुल 272 शिरोपिर जलाशय पूर्ण हो चुके है। के.एल.एस.द्वारा मात्र 13 पूर्ण करना संस्था की लापरवाही एवं मनमानी का प्रतीक है। एल.सी.इन्फ्रा द्वारा वर्ष 2021

Scanned with OKEN Scanner

से कार्य प्रारम्भ करने के बावजूद मात्र 94 पूर्ण करना संस्था की लापरवाही प्रतीत हो रही है। मेसर्स के.एल. एस.आर एवं एल.सी.इन्फ्रा को कड़ायी के साथ सचेत किया जाता है कि शिरोपरि जलाशय के निर्माण की प्रगति में सुधार कर लिया जाय। 76 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य 123 शिरोपरि जलाशय निर्माणाधीन है। संस्थाओं को 76 से 99 प्रतिशत के मध्य वाले निर्माण को 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

4. **सोलर पैनल** – अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा को 219, मेसर्स के.एल.एस.आर को 113 तथा मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ को 197 कुल 529 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 174 पैनल पूर्ण किये गये है, 45 शेष है। के.एल.एस.आर द्वारा 65 पूर्ण किये गये है, 48 अवशेष है तथा जी.ए.विश्वनाथ के 157 पूर्ण है, 40 शेष है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि जैसे–जैसे पम्प हाउस का निर्माण पूर्ण हो रहा है उसी के अनुरूप सोलर पैनल का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं को 30 जून तक कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

5. **पाईप लाइन** – समीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये विवरण पुस्तिका के अनुसार 7941 कि0मी0 पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाइन डालने का लक्ष्य निर्धारित है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 2963 के सापेक्ष 2861 कि0मी0 डाली गयी है तथा 102 कि0मी0 अवशेष है। मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा 1748 कि0मी0 के सापेक्ष 1520 कि0मी0 पाईप लाइन डाली गयी है, 228 कि0मी0 शेष है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 3230 कि0मी0 के सापेक्ष 3142 कि0मी0 पाईप लाइन डाली गयी है, मात्र 88 कि0मी0 पाईप लाइन डालना शेष है। इस प्रकार कुल 418 कि0मी0 पाईप लाइन का कार्य अवशेष है। 30 जून तक पाईप लाइन का कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

6– **रोड रेस्टोरेशन** – पाईप लाइन बिछाने हेतु खोदे गये सार्वजनिक मार्गों को व्यवस्थित न करने के कारण मा0 जनप्रतिनिधियों से निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त किया जा चुका है। आप द्वारा मार्गों को मोटरेबुल बनाने की बात कही गयी, परन्तु क्षेत्र में खोदे गये मार्गों को मोटरेबल भी न बनाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। कमीशनिंग एवं ओएण्डएम वाले ग्रामों में भी मार्गों को परमानेन्ट मरम्मत न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। कमीशनिंग के बाद स्थायी रूप से व्यवस्थित किये गये मार्गों को पुनः तोडने की शिकायत आपत्तिजनक है। बैठक में यह बताना कि परामानेन्ट बनाये गये मार्गों को लीकेज के कारण दुबारा तोड़ा गया, फर्म अक्षमता एवं लापरवाही का द्योतक है। निश्चित ही पाईप लाइन की प्लम्बरिंग एवं ज्वाइन्टिगं में तकनीकी कमी के कारण इस प्रकार की त्रुटिया हो रही हैं। सचेत किया जाता है कि सार्वजनिक मार्गों को स्थायी रूप से व्यवस्थित करने के पहले लीकेज की टेस्टिगं सावधानी पूर्वक भिज्ञ तकनीकी कार्मिक के माध्यम से करायी जाय। कार्यदायी संस्थाओं को सचेत किया जाता है कि 15 जून तक समस्त मार्गों को सुगम आवगमन हेतु व्यवस्थित कर लिया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कमीशनिंग के पश्चात मार्गों को परमानेन्ट व्यवस्थित करने के पहले पाईप लाइन भी टेस्टिंग अच्छी तरह से कर ली जाय, जिससे परमानेन्ट दुरूस्त किये गये मार्गों को दुबारा न तोड़ना पडें।

7. **रेगुलर वाटर सप्लाई**– कुल 275 ग्रामों के 631 राजस्व गॉव में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 275 ग्राम पंचायतों मे 214 शिरोपरि जलाशय के माध्यम से तथा 61 डायरेक्ट ट्यूबवेल से पेयजल आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में भीषण गर्मी एवं बढे हुये तापमान को देखते हुये निर्धारित समय–सारणी के अनुसार नियमित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

8. **मैन पावर**– पेयजल परियोजनाओं की दयनीय प्रगति का मुख्य कारण फर्म के पास मैन पावर का अभाव सबसे बडी समस्या है। समीक्षा बैठकों में निरन्तर मैन पावर में वृद्धि करने के निर्देश दिये जाने के बावजूद फर्म द्वारा कार्य स्थल पर मैन पावर नही लगाये जा रहे है। मैन पावर की कमी के कारण समस्त परियोजनायें प्रभावित हो रही है। तत्काल मैन पावर मे वृद्धि करते हुये निर्माण की प्रगति सुधार ली जाय।

9. **टीपीआई**– निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 के रूप में थर्ड पार्टी द्वारा निर्माण का पर्यवेक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। टीपीआई के जिला प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का अनुपालन करने तथा अनुपालन आख्या प्रेषित करने में लापरवाही की जा रही है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा से सम्बन्धित क्रिटिकल 742, मेजर 5171, माइनर 10 कुल 5923 के सापेक्ष कमशः 621, 2830, 10 कुल 3461 की अनुपालन रिपोर्ट 58 प्रतिशत

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध करायी गयी है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा किटिकल 450, मेजर 4904, माईनर 17 कुल 5361 के सापेक्ष कमशः 263, 2931,17 कुल 3211 की अनुपालन रिपोर्ट 60 प्रतिशत उपलब्ध करायी गयी है। मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा किटिकल 76, मेजर 1957, माईनर 16 कुल 2049 के सापेक्ष कमशः 56,816,16 कुल 888की अनुपालन रिपोर्ट 43 प्रतिशत उपलब्ध करायी गयी है। स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण करने एवं निस्तारण के पश्चात अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने में घोर लापरवाही की जा रही है। कार्यदायी संस्थाओं को सचेत किया जाता है कि निर्माण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का मौके पर तत्काल निस्तारण करते हुये कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला विकास अधिकारी,
मऊ

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।

पत्रांक 1413 / M-07 / 53 दिनांक 03-06-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मऊ।
4– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को अनुपालन हेतु प्रेषित।
5– मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा/मेसर्स जी.ए विश्वनाथ/मेसर्स के.एल.एस.आर को दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी,
मऊ

Scanned with OKEN Scanner